न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ० भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 29/2024 G.C.M.S. No. 2024/114 दर्ज दिनांक : 13.05.2024

अपीलार्थीः

लालाराम पुत्र तोलाजी, जाति मेघवाल, निवासी सायला, तहसील सायला, जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. पंकूड़ी बेवा गणेशाराम
2. पूराराम पुत्र स्व. गणेशाराम, जातियान मेघवाल, तहसील सायला, जिला जालोर
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सायला
4. आईसीआईसीआई बैंक शाखा आलासन तहसील व जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलेक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 33/2020 बअनवान लालाराम बनाम पंकूड़ी में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.05.2024 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री गुणेश सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री पारसमल बराड़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांकः 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 33/2020 बअनवान लालाराम बनाम पंकूड़ी में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.05.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

हस्तगत प्रकरण में ग्राम सायला में बदाजी पुत्र सुजाजी मेघवाल का संयुक्त हिन्दू परिवार रहता था, उनके तीन पुत्र टापरा, गणेशा, तोलीया हुए। दावा पेश करते समय टापरा जीवित था, उसके बाद मृत्यु हो गई। मेरे गोद के बारे में पक्षकारों में कोई विवाद नहीं हैं, तोलीया के पुत्र नहीं होने से उनके नियमानुसार गोद लिया है, तोलीया के 1/3 हिस्सा में उनका एकमात्र वारिस होने से बदाजी की सम्पत्ति में हकदार हूं। तीनों का संयुक्त हिन्दू परिवार था। बदाजी ने एक कृषि भूमि खरीद कर अपने दोनों पुत्रों टापरा व गणेशा के नाम रजिस्ट्री करवाई, उस समय मेरे गोद पिता नाबालिग थें, इसलिए रजिस्ट्री में तोलीया का नाम दर्ज नहीं हुआ, लेकिन बदाजी ने अपने जीवनकाल में उन दोनों बड़े पुत्रों को कहा था कि खरीदसुदा 1/3 हिस्से में तोलीया आपके साथ काश्त करेगा, उसमें आप दोनों दखल नहीं करेंगे, तो दोनों भाईयों ने तोलीया के जीवनकाल तक कब्जे में दोनों

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

ने दखल नहीं किया। खरीद के वक्त संयुक्त परिवार का कब्जा काश्त था। खरीद का वास्तविक प्रतिफल इन दोनों ने अपनी निजी कमाई नहीं दिया, क्योंकि इनकी निजी कमाई उस समय नहीं थीं। बदाजी द्वारा खरीद की गई भूमि मेरे लिए पुश्तैनी भूमि हैं। सगे भाईयों के मामले में पुराने समय एक–दूसरे पर विश्वास व भरोसा करते आये है। तोलीया के बालिग होने के बाद कई बार टापरा व गणेशा को 1/3 हिस्सा तोलीया के नाम करवाने बाबत् कहता रहता था, तब उन दोनों का एक जवाब दिया कि, तुम्हारें को हम काश्त करने से रोक नहीं रहे हैं, तुम काश्त करते रहो और काश्त करने से रोका भी नहीं, इसलिए ओर भरोसा किया। टापरा ने तोलीया के नाम उसका हिस्सा रजिस्ट्री के जरिये दें दिया है। अतः उसके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया। गणेशा ने भी तोलीया के हिस्से की आधी जमीन की रजिस्ट्री करवा के दें दी, लेकिन आधा भाग बाकी रहा, इसके लिए दावा गणेशा फौत के वारिसान के विरूद्ध पेश किया है, शेष टापरा व तोलीया दोनो फौत हो चुके हैं। मौजा सायला के मूल खसरा नम्बर 1386 का मूल रकबा 4. 22 हैक्टेर, किस्म भूमि चाही, जिसमें टापरिया, गणेशा, तोला पिसरान बदा (ये हिस्सा हमारे लिए पुश्तैनी हैं) नकल जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 संलग्न वाद–पत्र है। गणेशा के हिस्से में जिसमें से रकबा 0.18 हैक्टेर भूमि बेचान कर दी, शेष रहा खसरा नम्बर 4557/4128 रकबा 1.25 हैक्टेर शेष रहा, उसमें से रकबा 0.16 हैक्टेर व खसरा नम्बर 1385 में से रकबा 0.0200 हैक्टेर यानि 1/3 हिस्सा कुल रकबा 0.18 हैक्टेर अपीलाण्ट के नाम दर्ज किये जाने योग्य है। वर्तमान खसरा नम्बर 1428/1386 रकबा 1.43 हैक्टेर पुश्तैनी हक के आधार पर मूल दावा डिक्री योग्य है। खसरा नम्बर 1385 किश्म भूमि गे.मु. सडा चालु जमाबंदी संवत् 2074 से 77 रेस्पोंडेण्ट्स संख्या–01 व 02 के नाम गलत दर्ज है। इन सभी में से भी रकबा 0. 0200 हैक्टेर मेरे नाम किये जाने योग्य है। मूल दावा पेश होने के बाद प्रतिवादी/रेस्पोंडेण्ट्स संख्या–01, 03 व 04 बावजूद तामिल गैर हाजीर रहे हैं। रेस्पोंडेण्ट्स संख्या–02 की तरफ से अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब दावा हेतु अनेक बार अवसर मांगा, किंतु जवाब पेश नहीं होने पर जवाब दावा बंद कर एकपक्षीय सहादत वादी लालाराम का साक्ष्य शपथ–पत्र पेश हुआ तथा दावे के साथ सभी दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। रेस्पोंडेण्ट की तरफ से न तो जवाब दावा पेश हुआ व न ही दस्तावेज पेश किये गये, न साक्ष्य पेश की। प्रतिवादी संख्या–02 स्वयं ने भी साक्ष्य नहीं दी। एक भी तारीख पर उपस्थित हुआ। वादी के दावे का खण्डन नहीं हुआ। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का खण्डन नहीं हुआ, फिर भी दावा बिना आधार बताये खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय कानूनी व तथ्यात्मक भूल की हैं। बदाजी द्वारा अपनी कमाई से खरीद की, उस समय संयुक्त परिवार था, तोलीया उस समय नाबालिग होने से रजिस्ट्री में उसका नाम आया। पुश्तैनी भूमि बड़े भाई के नाम दर्ज होने से अन्य छोटे भाई का हक पुश्तैनी में समाप्त नहीं हो जाता। अभिवचन सर्वसम्मत सिद्धांत है कि दावे में मांगे गये अनुतोष प्रदान किया जाता है तो पक्षकार पीडित होगा व प्रभावित होगा। वहीं आवश्यक पक्षकार माना जाता है बंटवाडा का अनुतोष भी नहीं हैं। अतः अन्य सह–खातेदारान आवश्यक है, संयुक्त हिन्दू परिवार होने से स्वयं पक्षकार अपीलाण्ट/वादी लालाराम ने अपने वाद–पत्र साक्ष्य के मुख्य शपथ–पत्र में दी हैं। मौखिक बयानों में भी आया है कि उसको न मानने का कारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। जवाब दावा पेश न होने के बावजूद भी तनकी बनाकर निर्णय करना चाहिए तथा तनकी के निष्कर्ष के आधार पर दावा निस्तारित करना न्यायोचित होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी बनाये बिना निर्णय करने में कानूनी एवं तथ्यात्मक त्रुटि की हैं, उस आधार पर रिमाण्ड किये जाने योग्य है। निर्णय के साथ डिक्री पर्चा बनाना आवश्यक है, लेकिन डिक्री पर्चा भी नहीं बनाया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा बाबत् खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 06.05.2024 पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गयी।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी वादी के दादा बदा की सयुक्त हिन्दु परिवार की होने तथा बदा के तीन पुत्र टापरा, गणेशा व तौलिया होने, गणेशा व तौलिया की मृत्यु होने जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 01 व 02 है। वादी को तौलिया द्वारा नाबालिग अवस्था में गोद लिये जाने एवं इनका गोदनामा पंजीबद्ध होने, वादी के गोद पिता तोलिया की नाबालिग अवस्था में शामलाती सयुक्त परिवार की आय से बदाजी द्वारा क्रय करने तथा वादी के पिता नाबालिग होने से उनके दोनो बड़े भाई गणेशा व तापरा के नाम खरीद करने तथा वादग्रस्त आराजी अविभाजित सयुक्त हिन्दु परिवार की आय से क्रय होने से उक्त आराजी में वादी के पिता का भी हक निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया एवं एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में वादग्रस्त आराजीयात के अन्य सहखातेदारान को पक्षकार संयोजित नहीं किए जाने से वादपत्र को खारिज करने का आधार अंकित किया है। जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता, क्योंकि हस्तगत प्रकरण विभाजन का नहीं होकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबधित है तथा दीगर सहखातेदारन से घोषणा संबधी कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मोखिक साक्ष्य का वाछित अनुतोष के परिप्रेक्ष्य संगत विधिक प्रावधानो के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कोई विस्तृत व तार्किक विवेचन किए बिना तथा प्रस्तुत साक्ष्य की स्वीकार्यता व अस्वीकार्यता एवं मौखिक साक्ष्य की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विश्वसनीयता एवं अविश्वसनीयता के संबंध में कोई आधार अंकित किए बिना तथा निर्णय एवं विनिश्चय का कोई कारण दर्शित किए बिना सरसरी तौर पर साक्ष्य के अभाव का अंकन करते हुए वादपत्र अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा खारिज किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं होने से काबिल अपास्त है।

3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं होने व अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 33/2020 बअनवान लालाराम बनाम पंकूड़ी में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.05.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का समुचित अनुपालन करते हुए प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए, प्रकरण में विवाद्यक कायम कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर देते हुए विवाद्यकवार विवेचन व सकारण निर्णयन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 20.07.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर सायला में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। पत्रावलियां इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली